1 (296)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व बोर्ड (ग्वालियर), कैम्प कोर्ट-रीवा (म0प्र0)

श्री विनोद सिंह एड0 द्वारा पेश / 23.12.13

क्लर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

R. 328-II/14 शिवकुमार सिंह तनय स्व0 श्री बलिकरण सिंह परिहार, उम्र लगभग 65 वर्ष, पेशा—कृषि, निवासी ग्राम कोदई डाड़, तह0 रामपुर नैकिन जिला सीधी (म0प्र0)

—————निगरानीकर्ता

726 / 23.12.13

बनाम

1— आनंद बहादुर सिंह तनय श्री तखतराज सिंह गहरवार

2— गोविन्द सिंह तनय श्री तखतराज सिंह गहरवार

3— जयचन्द्र सिंह तनय श्री तखतराज सिंह गहरवार

सभी निवासी ग्राम कोदई डाड़, तह0 रामपुर नैकिन जिला सीधी (म0प्र0)

4— म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर, जि.. सीधी (म.प्र.) —————गैर—निगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर महोदय जिला सीधी म0प्र0प्र0क्र0 80/निगरानी/09—10 में पारित आदेश दिनांक 30.10.13

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0—1959

महोदय,

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य :—

निगरानीकर्ता शिवकुमार सिंह मौजा कोदई डाड़, पट0 हल्का—रा0नि0मं0, तह0 रामपुर नैकिन जिला सीधी (म0प्र0) स्थित आ0क्र0 113, रकवा 0.750 हे0 का भू स्वामी एवं आधिपत्यधारी है। किन्तु वर्ष 2009 में जब वह अपने कार्य से 21 दिसम्बर 2009 को तहसील कार्यालय रामपुर नैकिन गया था तो उसे वहाँ से जानकारी मिली थी कि उसकी उक्त वर्णित भूमि आराजी बावत् गैरनिगरानीकर्ताओं के नाम इस्तलावी आदेश दिनांक 07.10.2009, प्र0क्र0 64/अ—74/2008—09 तहसीलदार रामपुर नैकिन जिला सीधी द्वारा पारित किया गया है, जिससे वह हतप्रभ रह गया। निगरानीकर्ता वृद्ध व्यक्ति है तथा जब उसे उक्त जानकारी मिली तब वह पीलिया जैसी गंभीर बीमारी की चपेट में लगभग 3 हफ्ते से ज्यादा समय तक ग्रस्त रहा तथापि उसने भरसक प्रयास करके तहसीलदार रामपुर नैकिन जिला

शिवकुमार सिंह

(296)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

जिला सीधी

प्रकरण क्रमांक R-328/II/2014

शिवकुमार सिंह/ आनंद बहादुर सिंह वगैरः

(1)	(2)	(3)
18.12.18	1. आवेदक की ओर से श्री विनोद सिंह अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर, जिला सीधी के प्रकरण क्रमांक 80/निगरानी/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 30.10.13 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 18.01.19 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	

क्षी 19 का 1 ८७